महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट सतना (मध्य प्रदेश)

कैंटीन हेतु निविदा प्रपत्र
(सामान्य सूचना तथा शर्तें)

निविदा प्रपत्र मूल्य रुपए 1000/– मात्र

विश्वविद्यालय की कैंटीन के लिए निविदा 03 लिफाफा पद्धति पर आमंत्रित की जाती है। प्रथम लिफाफा (अ) में निविदा फॉर्म के मूल्य का डिमांड ड्राफ्ट रुपए 1000/– जो वापसी योग्य नहीं होगा तथा अमानत राशि रुपया 5000/– का डिमांड ड्राफ्ट रखा जाएगा। द्वितीय लिफाफा (ब) में फार्म का विवरण, टर्नओवर इत्यादि का दस्तावेज रखा जायेगा। तृतीय लिफाफा (स) में सामग्री की दरें (Financial bid) अंकित की जाएगी। सर्वप्रथम प्रथम लिफाफा (अ) एवं द्वितीय लिफाफा (ब) खोले जाएंगे। उपयुक्त निविदाकर्ता फर्मो का चयन निविदा शर्तों के आधार पर किया जाएगा। समिति आवश्यकतानुसार निविदाकर्ता फर्मो का निरीक्षण भी कर सकेगी एवं लिफाफा (अ) एवं लिफाफा (ब) में उपयुक्त पाये गए निविदा फर्मों का लिफाफा (स) (Financial bid) खोला जाएगा।

कैंटीन – शर्ते :–

1. निविदा फॉर्म विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.gramodayachitrakoot.ac.in से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं। निविदा फॉर्म का मूल्य रुपए 1000/– (रुपए एक हजार) होगा जो वापसी योग्य नहीं होगा।
2. अमानत राशि रुपए 5000/– का डिमांड ड्राफ्ट कुलसचिव, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट के नाम देय हो, जमा करना आवश्यक है। जिन निविदाकर्ता की निविदा स्वीकार नहीं होगी, उनकी अमानत राशि रुपए 5000/– का डिमांड ड्राफ्ट वापस कर दिया जाएगा।
3. यदि कोई निविदाकर्ता निविदा प्रकिया पूर्ण होने के पूर्व या मध्य में निविदा प्रस्ताव वापस लेती है अथवा निविदा स्वीकार होने के उपरान्त कार्य करने से इंकार करती है या प्रक्रिया के दौरान निविदाकर्ता की कोई शिकायत पाई जाती है तो उक्त अमानत राशि विश्वविद्यालय द्वारा राजसात (जब्त) कर ली जाएगी।
4. निविदा फॉर्म प्राप्त करने की तिथि 16 नवम्बर 2026 एवं जमा करने की अंतिम तिथि 08 दिसम्बर 2026 होगी। अंतिम तिथि के उपरान्त अगले कार्य दिवस दिनांक 09 दिसम्बर 2026 को अपरान्ह 01:30 बजे पर खोली जाएगी। निविदा खोलते समय निविदाकर्ता अथवा निविदाकर्ता के प्रतिनिधि समिति के समक्ष उपस्थित रह सकते हैं।
5. सफल निविदाकर्ता को प्रथमतः एक वर्ष के लिए कैंटीन संचालन हेतु दी जाएगी। निविदाकर्ता के कार्य निष्पादन (Perfomance) एवं सहमति पर एक वर्ष एवं पुनः एक वर्ष की कालावधि वृद्धि दी जा सकेगी।
6. विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित भवन एवं स्थानों (मुख्य परिसर, कन्या छात्रावास एवं कृषि संकाय आदि) पर ही कैंटीन संचालित होगी।
7. विश्वविद्यालय द्वारा कैंटीन भवन, स्थान में बिजली एवं पानी तथा किचेन का स्थान फर्नीचर प्रदाय होगा किन्तु बिजली एवं पानी के बिल का भुगतान प्रति माह निविदाकर्ता द्वारा जमा किया जाएगा जिसकी रसीद अधिष्ठाता, छात्र कल्याण कार्यालय में देना होगा।
8. अतिरिक्त फर्नीचर आदि की व्यवस्था निविदाकर्ता को करना होगा।
9. कैंटीन भवन का निर्धारित किराया रुपए 6000/–, कन्या छात्रावास मेस का किराया रुपए 4000/–, एवं कृषि परिसर मेस का किराया 4000/– प्रति माह निविदाकर्ता द्वारा देय होगा।
10. साफ–सफाई, स्वछता एवं व्यापारिक लेनदेन की जिम्मेवारी कैंटीन निविदाकर्ता की होगी।
11. कैंटीन में निविदाकर्ता के द्वारा पेयजल हेतु वाटर कूलर तथा वॉटर प्यूरीफायर स्थापित करना होगा।

12. कैंटीन में लकड़ी एवं कोयले का उपयोग पूर्णतया वर्जित रहेगा।
13. कैंटीन में निविदाकर्ता द्वारा प्लास्टिक के बर्तन जैसे – कप, ग्लास, कटोरी, थाली आदि का प्रयोग पुर्णतः वर्जित है।
14. पकी एवं अवशेष सामग्रियों का पुर्न प्रयोग वर्जित है। साफ–सफाई का भी विशेष ध्यान एवं पालन किया जाना होगा।
15. कैंटीन निविदाकर्ता को कैंटीन भवन जिस स्थित में दिया जाएगा उसी स्थित में निविदाकर्ता द्वारा वापस किया जाएगा। कैंटीन भवन में कोई टूटफूट, कमी पाई गई तो उसका भुगतान कैंटीन निविदाकर्ता द्वारा देय होगा।
16. कैंटीन निविदाकर्ता का जीएसटी पंजीयन आवश्यक है।
17. कैंटीन निविदाकर्ता को सार्वजनिक स्थानों पर मेस चलाने का कम से कम तीन (03) वर्ष का गुणवत्ता युक्त तथा उच्च दर्जे का रेस्टोरेंट एवं भोजनालय चलाने का अनुभव होना आवश्यक है।
18. विगत तीन (03) वर्ष का आयकर रिटर्न प्रस्तुत करना आवश्यक है।
19. निविदा स्वीकार होने के पश्चात परफॉर्मेंस बांड रुपए एक लाख (1,00,000/–) का डिमांड ड्राफ्ट या एफडीआर या बैंक गारंटी कुलसचिव, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट के नाम देय हो जमा करना होगा जो सफलतापूर्वक एवं संतोषजनक कार्य संपादन नहीं हुआ तो उक्त राशि को जब्त करने का अधिकार विश्वविद्यालय का होगा। सफलतापूर्वक अवधि समाप्त होने पर निविदाकर्ता का की अमानत एवं परफॉर्मेंस बांड वापस की जाएगी।
20. खाद्य सामग्री तैयार करने हेतु रिफाइंड तेल का उपयोग, एग मार्का मसाले के एवं अन्य कच्ची सामग्री गुणवत्ता युक्त ISO प्रमाणित होनी चाहिए।
21. जिस निविदाकर्ता को आदेश निर्गत किया जाएगा उसे 15 दिनों के अंदर कैंटीन प्रारंभ करना अनिवार्य होगा।
22. भोजन का विक्रय निविदाकर्ता द्वारा नगद/ कूपन प्रणाली से ही किया जाएगा, विश्वविद्यालय प्रशासन किसी भी प्रकार की व्यापारिक लेनदारी/ देनदारी का जिम्मेदार नहीं होगा, इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी कैंटीन निविदाकर्ता की ही होगी।
23. विश्वविद्यालय को बिना कारण बताएं एवं तीन (03) महीने की पूर्व सूचना के बिना कैंटीन बंद नहीं की जा सकेगी।
24. मध्य प्रदेश श्रम नियमों का पूर्ण पालन करना अनिवार्य है। समिति द्वारा आकस्मिक निरीक्षण करने पर सामग्री खराब पाए जाने पर समिति द्वारा सामग्री को जब्त कर दिया जाएगा। अव्यवस्था एवं असंतोषजनक कार्य पाए जाने पर कैंटीन बंद करने एवं भवन/ परिसर पर खाली करने का संपूर्ण अधिकार विश्वविद्यालय प्रशासन के पास सुरक्षित रहेगा तथा समय–समय पर विश्वविद्यालय प्रशासन/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों का पालन करना होगा।
25. जलपान एवं भोजन की मूल्य सूची प्रतिदिन का मीनू स्पष्ट रूप से कैंटीन में प्रदर्शित होना चाहिए। भोजन का एक सप्ताह का मीनू, वार्डन एवं छात्रावास की समिति, द्वारा स्थानीय बाजार में उपलब्ध सामग्री के आधार पर तय करेगी।
26. निविदाकर्ता प्रस्ताव के समस्त प्रपत्र पर अपनी स्पष्ट सहमति अंकित कर हस्ताक्षर अवश्य करें।
27. विश्वविद्यालय प्रशासन को बिना कारण बताएं समस्त एवं किसी निविदा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा तथा निविदाओं के संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। किसी भी विवाद की स्थिति में कुलगुरु द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।
28. निविदाकर्ता के पास FSSAI का सक्ष्म प्रमाण पत्र अनिवार्य है।
29. Flycatcher का उपयोग हेतु उपकरण स्थापित करना होगा।

कुलसचिव

मैंने उपरोक्त सामान्य सूचना तथा शर्तें (बिंदु क्रमांक 01 से 29 तक) पढ़ ली है और मुझे मान्य है।

हस्ताक्षर

–निविदाकर्ता का नाम

–जीएसटी पंजीयन क्रमांक
–अस्थाई पता

–स्थाई पता

–फोन नंबर/मोबाइल नं.

निविदाकर्ता का डिमांड ड्राफ्ट विवरण
लिफाफा (अ) में रखा जाए

1 निविदाकर्ता / निविदाकर्ता प्रतिनिधि का नाम व पता फोन नंबर सहित

2 डिमांड ड्राफ्ट रुपए एवं नंबर तथा दिनांक

(अ) रुपए	नंबर	दिनांक
(ब) रुपए	नंबर	दिनांक
(स) रुपए	नंबर	दिनांक

3 बैंक का नाम

दिनांक

स्थान

हस्ताक्षर निविदाकर्ता

–नाम

–पता

निविदाकर्ता का व्यावसायिक विवरण

लिफाफा (ब) में रखा जाए एवं साथ में कैंटीन/सुविधा केंद्र नियम एवं शर्तें भी हस्ताक्षरित कर संलग्न करें

4 निविदाकर्ता / निविदाकर्ता प्रतिनिधि का नाम व पता फोन नंबर सहित

5 फर्म/संस्था का नाम

6 पंजीकरण संख्या (जीएसटी पंजीयन पत्र)

7 वर्तमान व्यवसाय/प्रतिष्ठान का कार्य विवरण

8 विगत तीन (03) वर्ष का आयकर रिटर्न एवं वार्षिक टर्नओवर

9 विगत तीन (03) वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र

10 FSSAI का सक्ष्म प्रमाण पत्र

11 Flycatcher का उपयोग हेतु उपकरण स्थापित की सहमति

दिनांक

स्थान

हस्ताक्षर निविदाकर्ता

–नाम

–पता

निविदाकर्ता द्वारा अंकित मात्रा एवं दरें
लिफाफा (स) में रखें

कैंटीन में खाद्य सामग्री का विवरण –

क्र.	वस्तु का नाम	मात्रा	मूल्य (अंक)	मूल्य (शब्द)
1.	चाय	80 मिलीमीटर		
2.	काफी	100 मिली लीटर		
3.	कचौड़ी	50 ग्राम (साथ चटनी)		
4.	समोसा	50 ग्राम (साथ चटनी)		
5.	भजिया	100 ग्राम (साथ चटनी)		
6.	ब्रेड पकौड़ा	70 ग्राम (साथ चटनी)		
7.	पूड़ी 5 नग (20 ग्राम प्रति)	100 ग्राम (साथ चटनी)		
8.	भोजन (रोटी 6नग (20 ग्राम प्रति), चावल 100 ग्राम, दाल (अरहर/मूंग) 200 ग्राम, सूखी सब्जी 50 ग्राम, गीली सब्जी 50 ग्राम, सलाद, चटनी/अचार)	प्रति थाली		
		मासिक दर		
9.	पेड़ा	100 ग्राम		
10.	जलेबी	100 ग्राम		
11.	लड्डू (बूंदी)	100 ग्राम		
12.	लड्डू (बेसन) देसी घी	100 ग्राम		
13.	लस्सी	200 मिलीलीटर		
14.	मार्केट आइटम	प्रति पैकेट		
15.	बिस्किुट पैक	प्रति पैकेट		
16.	कोल्ड ड्रिंक	प्रति नग		
17.	पिज्जा	100 ग्राम		
18.	बर्गर	100 ग्राम		
19.	चाउमीन	100 ग्राम		
20.	मैंगी	100 ग्राम		
21.	मोमोज	100 ग्राम		
22.	डोसा	100 ग्राम		
23.	इडली	100 ग्राम		
24.	रोटी (20 ग्राम)	प्रति नग		
25.	चावल	100 ग्राम		
26.	दाल (अरहर/मूंग)	100 ग्राम		
27.	सूखी सब्जी	100 ग्राम		
28.	गीली सब्जी	100 ग्राम		
29.	सलाद	100 ग्राम		

प्रत्येक रविवार को एक पाली में स्पेशल भोजन दिया जाएगा जैसे – पूड़ी, सब्जी (पनीर/कोफ्ता/छोले), पुलाव पापड़, अचार/चटनी, सलाद, रायता एवं मीठा आदि।

दिनांक
स्थान

हस्ताक्षर निविदाकर्ता
–नाम
–पता/मोबाइल नं.